

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- पंकज गढवाल ( आर0ए0एस0 )  
मिसल न0- 29/2024

अनवान :-

1. श्री चन्द पुत्र रामजस जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

बनाम्

सायल

1. मुख्त्यारसिह पुत्र इन्द्रसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
2. इन्द्रा पत्नी जगदीश प्रसाद जामि मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. इन्द्राज सिह पुत्र हजारी जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. ईमरता पुत्री भाणुराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. कमला देवी पत्नी रामजीलाल जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. गोपीराम पुत्र धन्नाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. जगदीश पुत्र मुखराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. देवीलाल पुत्र हरदास जाति बांवरी निवासी कोहला तहसील हनुमानगढ।
9. प्रेम कुमार पुत्र धन्नाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. बुधराम पुत्र नानुराम जाति बाजीगर निवासी चिडियागाधी तहसील भादरा
11. बाबुराम पुत्र मुखराम जाति वाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
12. मुलाराम पुत्र केसराराम जाति वाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
13. महेन्द्रसिह पुत्र बरयामसिह जाति बाजीगर निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
14. महेन्द्र सिह पुत्र महीपतराम जाति मेधवाल निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
15. महीपाल पुत्र रामेश्वरदास जाति मेधवाल निवासी करडी
16. रूलीचन्द पुत्र नोपाराम जाति नायक निवासी मुन्सरी तहसील नोहर
17. रामचन्द्र पुत्र केशराराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
18. राहुलदेव पुत्र बलवीरसिह जाति बावरिया तहसील सरादरगढ तहसील सुरतगढ
19. शंकरलाल पुत्र केसराराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
20. श्रवण कुमार पुत्र धन्नाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
21. शेराराम पुत्र हजारीराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
22. कालुसिह पुत्र जगतारसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

24. छिन्द्रोबाई पत्नी महेन्द्रसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।  
असल गैरसायलान  
-तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0  
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अधिवक्ता, प्रार्थी  
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1  
निर्णय दिनांक :- 22/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 115/110 की कुल 5.6020हैक भूमि का सायल व गैरसायल संख्या 2 ता 21 की मुश्तरका खाता की भूमि है एवं खाता संख्या 114/109 की कुल 3.7950हैक भूमि सायल के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 15/13 की कुल 1.650हैक भूमि गैरसायल संख्या 22 के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार

अ  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

रोही मोजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 7/6 के कुल 1.2650हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

रोही मोजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 7/6 के कुल 1.2650हैक् भूमि तरतीबी प्रतिवादी संख्या 24 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 24 अपनी भूमि रोही मोजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 114/109 व खाता संख्या 26/25 में जाने के किये गांव से चल कर मंजुरशुद्धा रास्ता से होते हुए सायल की भूमि खाता संख्या 115/110 के प0न0 325/377 (10) के किला न0 5/2 मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि में से होते हुए गैरसायल संख्या 22 की भूमि के प0न0 325/377(10) के किला न0 6 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि एवं गैरसायल संख्या 1 की भूमि प0न0 325/377(10) के किला न0 15 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि में से होते हुए सायल अपने खेत खाता संख्या 114/109 के प0न0 325/377(10) के किला न0 16/2 में प्रवेश करता है इसके अलावा तरतीबी गैरसायल संख्या 24 को उसकी भूमि में जाने के लिये सायल अपनी भूमि प0न0 325/377(10) के किला न0 16/2 के मिन उत्तर की 0.006हैक् भूमि में से होकर अपने खेत प0न0 325/377(10) के किला न0 16/1 में प्रवेश करती है इसी रास्ता से सदामत से आवागमन करते आ रहे हैं इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है यही रास्ता सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है।

उक्त रास्ता आपसी सहमति से काफी वर्षों से चलता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में मंजुर नहीं होने के कारण गैरसायल संख्या 1 हमेशा रास्ता बंद करने की धमकी देता रहता है यदि रास्ता बन्द हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी व सायल अपनी भूमि काश्त करने में असमर्थ हो जावेगी।

सायल उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर दर्ज करवाना चाहती है रास्ता के बदले में भूमि या बाजार भाव डीएलसी दर से राशि देने को तैयार है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायला की भूमि खाता संख्या 115/110 के प0न0 325/377(10) के किला न0 5/2 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि एवं गैरसायल संख्या 22 की भूमि के प0न0 325/377(10) के किला न0 6 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि एवं गैरसायल संख्या 1 के प0न0 325/377 (10) के किला न0 15 के मिन पूर्व की 0.013हैक् व सायल की भूमि के खाता संख्या 114/109 के प0न0 325/377(10) के किला न0 16/2 के मिन उत्तर की 0.006हैक् भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 2 ता 21 को रजिस्टर नोटिस से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा गैरसायल संख्या 22,24 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने सायल के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया

गैरसायल संख्या 1 ने जबाब पेश किया की भूमि सायल एव गैरसायलान के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने की हद तक स्वीकार है अन्य कथन स्वीकार नहीं है सायल हमेशा से रोही मौजा चक 12 केएनएन के प0न0 325/377 (10) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 के पश्चिम दिशा से उत्तर से दक्षिण होकर अपने खेत मे आती जाती रही है इसी रास्ता से हमेशा से आवागमन करती रही है सायला कभी की 5 ,6 ,15 ,16 किलो में आवागमन नहीं किया गया है मनगढत एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

सायल द्वारा प0न0 325/477(10) के किला न0 5/2 मीन पूर्व की 0.013हैक् प0न0 325/377(10) के किला न0 6 मीन पूर्व की 0.013हैक् एवं प0न0 325/377(10) के किला न0 15 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि में से कभी भी आवागमन नहीं किया है ना यहाँ पर कोई रास्ता था सायल ने हमेशा से चक 12 केएनएन के प0न0 325/377(10) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण होकर अपने खेत में प्रवेश करती है यही रास्ता सबसे नजदीकी व सुविधाजनक है अतः किला न0 1 ,10 ,11 ,20 के पश्चमी दिशा में उत्तर से दक्षिणी एक - एक गठठा रास्ता स्वीकार फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 का जबाब शामिल मिसल किया गया मौका रिपोर्ट रास्ता बाबत प्राप्त की जाकर शामिल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल एव गैरसायलान एक दुसरे के चिपते खेत पडोसी है सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नहीं है सायल हमेशा से गैरसायल के किला न0 5, 6 ,15 में से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करती आ रही है यही रास्ता सायल के लिये सुविधाजनक एव नजदीकी है गैरसायल संख्या 1 का कथन है कि किला न0 1 ,10 ,11 ,20 में से रास्ता दिया जावे जो न्यायोचित नहीं है क्योंकि यह रास्ता पहले से नहीं चल रहा है तथा खाला की भूमि है जिसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकार फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल द्वारा प0न0 325/477(10) के किला न0 5/2 मीन पूर्व की 0.013हैक् प0न0 325/377(10) के किला न0 6 मीन पूर्व की 0.013हैक् एवं प0न0 325/377(10) के किला न0 15 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि में से कभी भी आवागमन नहीं किया है ना यहाँ पर कोई रास्ता था सायल ने हमेशा से चक 12 केएनएन के प0न0 325/377(10) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण होकर अपने खेत में प्रवेश करती है यही रास्ता सबसे नजदीकी व सुविधाजनक है अतः किला न0 1 ,10 ,11 ,20 के पश्चमी दिशा में उत्तर से दक्षिणी एक - एक गठठा रास्ता स्वीकार फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात मौका रिपोर्ट / नजरीय नक्शा का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायल एवं गैरसायलान दोनो ही बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं एक दुसरे के खते पडोसी है

सायल का कथन है कि सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये मंजुरशुद्धा रास्ता नहीं है सायल सायला की भूमि खाता संख्या 115/110 के प0न0 325/377(10) के किला न0 5/2 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि एवं गैरसायल संख्या 22 की भूमि के प0न0 325/377(10) के किला न0 6 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि एवं गैरसायल संख्या 1 के प0न0 325/377 (10) के किला न0 15 के मिन पूर्व की 0.013हैक् व सायल की भूमि के खाता संख्या 114/109 के प0न0 325/377(10) के किला न0 16/2 के मिन उत्तर की 0.006हैक् भूमि में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करती है यही रास्ता पूर्व एवं सदामत से चालू है जो सायल व अन्य काश्तकारों के लिये सुविधाजनक एवं नजदीकी है जिसे स्वीकार फरमावे।

गैरसायल का कथन है कि सायल उक्त रास्ता से आवागम नहीं करती है सायल द्वारा प0न0 325/477(10) के किला न0 5/2 मीन पूर्व की 0.013हैक् प0न0 325/377(10) के किला न0 6 मीन पूर्व की 0.013हैक् एवं प0न0 325/377(10) के किला न0 15 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि में से कभी भी आवागमन नहीं किया है ना यहाँ पर कोई रास्ता था सायल ने हमेशा से चक 12 केएनएन के प0न0 325/377(10) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण होकर अपने खेत में प्रवेश करती है यही रास्ता सबसे नजदीकी व सुविधाजनक है जिसे स्वीकार फरमावे।

गैरसायल का कथन औचित्यहीन है क्योंकि गैरसायल ने किला न0 1 ,10 ,11 ,20 में से होकर जाने का कथन किया गया जबकि उक्त किलो में खाला चल रहा है जब खाला पूर्व से ही चल रहा है तो रास्ता नहीं हो सकता है ना ही सायल का आवागमन रहा होगा।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा में स्पष्ट तौर से प0न0 325/377(10) के किला न0 1 ,10 ,11 में खाला दर्शाया गया है जब खाला पूर्व से ही चल रहा है तो रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है यदि गैरसायल के कथनानुसार रास्ता दिया जाता है तो अन्य काश्तकारों को जो उक्त खाला से सिचाई करते हैं प्रभावित हो सकती है जो उचित नहीं है।

मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता पत्थर लाईन पर चाहा गया है जो उचित भी है जिससे किसी काश्तकार के हित भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं तथा सायल अपने पडोसी काश्तकार को जाने के लिये अपनी खातेदारी भूमि में से सहमति से रास्ता भी दिया जा रहा है

• सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता के सम्बन्ध में अन्य काश्तकारों के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया गया है बल्की दो काश्तकारों के द्वारा सायल के कथनों को स्वीकार भी किया गया है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि तक पहुचने का रास्ता दिया जाना विधि सम्मत है रास्ता देने के समय यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि रास्ता

दिये जाने पर किसी अन्य काश्तकार के हित प्रभावित तो नहीं हो रहे सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता विधि सम्मत है जिससे किसी भी काश्तकार के हित प्रभावित नहीं हो रहे है बल्की रास्ते की सुविधा प्राप्त हो रही है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता विधिसम्मत होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट / नजरीय नक्शा के अनुसार स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर सायला की भूमि खाता संख्या 115/110 के प0न0 325/377(10) के किला न0 5/2 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि एवं गैरसायल संख्या 22 की भूमि के प0न0 325/377(10) के किला न0 6 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि एवं गैरसायल संख्या 1 के प0न0 325/377 (10) के किला न0 15 के मिन पूर्व की 0.013हैक् व सायल की भूमि के खाता संख्या 114/109 के प0न0 325/377(10) के किला न0 16/2 के मिन उत्तर की 0.006हैक् भूमि में रास्ता स्वीकृत जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती हे उतनी भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि सायल , गैरसायल संख्या 24 व गैरसायल संख्या 1 को देगा तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आशय का आदेश तहसीलदार राजस्व नोहर को जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al  
उपखण्डाधिकारी ( राजस्व )  
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2024/1061

दिनांक 22/10/2024

तहसीलदार,  
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र सं० 29 सन 2022 निर्णय दिनांक 22/10/2024

अनवान :-

1. श्री चन्द पुत्र रामजस जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. मुखत्यारसिह पुत्र इन्द्रसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
2. इन्द्रा पत्नी जगदीश प्रसाद जामि मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. इन्द्राज सिह पुत्र हजारी जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. ईमरता पुत्री भाणुराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. कमला देवी पत्नी रामजीलाल जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. गोपीराम पुत्र धन्नाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. जगदीश पुत्र मुखराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. देवीलाल पुत्र हरदास जाति बांवरि निवासी कोहला तहसील हनुमानगढ।
9. प्रेम कुमार पुत्र धन्नाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. बुधराम पुत्र नानुराम जाति बाजीगर निवासी चिडियागाधी तहसील भादरा
11. बाबुराम पुत्र मुखराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
12. मुलाराम पुत्र केसराराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
13. महेन्द्रसिह पुत्र बरयामसिह जाति बाजीगर निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
14. महेन्द्र सिह पुत्र महीपतराम जाति मेधवाल निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
15. महीपाल पुत्र रामेश्वरदास जाति मेधवाल निवासी करडी
16. रूलीचन्द पुत्र नोपाराम जाति नायक निवासी मुन्सरी तहसील नोहर
17. रामचन्द्र पुत्र केशराराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
18. राहुलदेव पुत्र बलवीरसिह जाति बावरिया तहसील सरादरगढ तहसील सुरतगढ
19. शंकरलाल पुत्र केसराराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
20. श्रवण कुमार पुत्र धन्नाराम जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
21. शेराराम पुत्र हजारीराम जाति बाल्मिकी निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
22. कालुसिह पुत्र जगतारसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल गैरसायलान

24. छिन्द्रोबाई पत्नी महेन्द्रसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

-तरतीबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि सायला की भूमि खाता संख्या 115/110 के प०न० 325/377(10) के किला न० 5/2 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि एवं गैरसायल संख्या 22 की भूमि के प०न० 325/377(10) के किला न० 6 के मिन पूर्व की 0.013हैक् भूमि एवं गैरसायल संख्या 1 के प०न० 325/377 (10) के किला न० 15 के मिन पूर्व की 0.013हैक् व सायल की भूमि के खाता संख्या 114/109 के प०न० 325/377(10) के किला न० 16/2 के मिन उत्तर की 0.006हैक् भूमि में रास्ता स्वीकृत जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि सायल, गैरसायल संख्या 24 व गैरसायल संख्या 1 को देगा तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड में अंकन / दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर